


राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

विषय:- ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों के 4 माह के बिजली के बिल माफ करने बाबत।

राज्य में दिनांक 28.2.15 से 2.3.15 तक व 12.3.15 से 15.3.15 को हुई ओलावृष्टि से रबी फसलों में नुकसान होने पर प्रभावित काशतकारों को राहत प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18.3.2015 को राहत पैकेज जारी किया गया है। इसके बिन्दू संख्या 2 में जिन लघु एवं सीमान्त कृषकों की फसल में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा हुआ है उनके बिजली के 4 माह के बिल माफ किये जाने का निर्णय लिया गया है।

राहत पैकेज की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार ओलावृष्टि से जिन लघु एवं सीमान्त कृषकों की 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराब है उनके 4 माह के विद्युत बिल माफ किये जाने की कार्यवाही करावें।

  
शासन सचिव

शासन सचिव,  
ऊर्जा विभाग, राजस्थान जयपुर।

अ.शा.टीप क्रमांक एफ.1(3)आ.प्र.एवं सहा/ओला0/2015 3166  
जयपुर, दिनांक 20.3.15